भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2274
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत अनियमितताएं

2274. श्री निशिकांत दुबे :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री विष्णु दयाल राम :
श्री पी.पी. चौधरी :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा :
श्री मलयादि श्रीराम:
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :
श्री शिशिर कुमार अधिकारी :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कई कंपनियां कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कल्याणकारी गतिविधियों पर अपने कुल लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं कर रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरूद्ध कंपनी और राज्य/संघ क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों/पीएसयू द्वारा धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होने वाले चूककर्ताओं के लिए कंपनी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, यदि हां, तो इन कंपनियों के विरूद्ध सरकार किस प्रकार कार्रवाई करती है; और

(ङ) क्या सरकार ने सीएसआर की गतिविधियों के विनियमन और निगरानी के मकसद से कोई निगरानी प्राधिकरण गठित किया है/गठित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के उपबंध 01.04.2014 से लागू किए गए हैं। विधान के अधीन वर्ष 2014-15 कंपनियों द्वारा सीएसआर नीतियों के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था। अधिनियम के सीएसआर उपबंधों के अनुपालन के लिए पात्र कंपनी के बोर्ड को बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर संबंधी वार्षिक जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होती है। कंपनियां अभी भी मंत्रालय में अपना वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया में है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अधिनियम के सीएसआर उपबंधों का अनुपालन करने वाली कंपनियों के ब्यौरे कंपनियों द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही उपलब्ध होने की आशा है।

(ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कंपनियों द्वारा सीएसआर निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत उनके संज्ञान में नहीं आई है।

(घ): इस अधिनियम की धारा 135 का अनुपालन नहीं करने से संबंधित उपबंध अधिनियम की धारा 134(8) में विहित हैं।

(ङ.): जी, नहीं।

*****